(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 195/2022

सुधीर कुमार दूत पुत्र पृथ्वीसिंह दूत, निवासी ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333042

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 195/2022 पर दिनांक 07.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2529—30 दिनांक 07.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/778 दिनांक 21.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिंक 17.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के कम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/723 दिनांक 17.05.202 के द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सूचना नही देने का कोई कारण ही नही बनता है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2022/778 दिनांक 21.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिंक 17.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के कम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/723 दिनांक 17.05.202 के द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सूचना नही देने का कोई कारण ही नही बनता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 16:11:39 IST
Reason: SelfAttested

(एल० [illegible] कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू